गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र०प्रा०वि)

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ।

दूरभाष संख्याः 0522-2732193 फैक्स संख्याः 0522-2732185

पत्र सं0: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/10281-10872 दिनांक: 19 जून, 2010

सेवा में,

स्पीडपोस्ट

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय
से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं
व्यावसायिक संस्थाएं।

विषय: विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महा. कुलाधिपति सचिवालय के पत्र सं0 ई.-4681/जी.एस. दिनांक 11.6.10 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि रिट पिटीशन सं0 2830/2004 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.9.2005 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 404/सत्तर-1-2006-17(18)/05 दिनांक 28 मार्च, 2006 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(3) में यह निर्देश दिये गये थे कि 'यदि किसी विद्यार्थी को अंतिम तिथि के पश्चात या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिए कालेज के प्राचार्य या प्रबन्धक, जैसी स्थिति हो, अपराधिक रूप से अभियोजित किये जा सकेंगे'।

अत: आपसे अपेक्षा है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 22.9.2005 एवं शासनादेश दिनांक 28.3.2006 के अंतर्गत निर्देशित स्थिति के अनुसार संस्था स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. विधिक परामर्शदाता, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ को महा0 सचिवालय के पत्र सं0 ई-4681/जी.एस. दिनांक 11.6.2010 के संदर्भ में।
3. स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, गौ0बु0प्रा0वि0, लखनऊ।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–२२७१३२

संख्या ई– 4681 /जी०एस०
दिनांक : 11/6/ २०१०

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय– विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में।

740

महोदय,

कृपया रिट पिटीशन संख्या–२८३०/२००४ में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २२–०६–२००५ के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्याः–४०४/सत्तर–१–२००६–१७(१८)/०५, दिनांक २८ मार्च, २००६ निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–१(३) में यह निर्देश दिये गये थे कि "यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात् या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिये कालेज के प्राचार्य या प्रबंधक, जैसी स्थिति हो, आपराधिक रूप से अभियोजित किये जा सकेगें"।

इस क्रम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गई कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा–६१(२)(घ) के अनुसार :–

"(घ) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है, सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास जो एक वर्ष की हो सकती है या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा"।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह भी अभिमत व्यक्त किया गया है कि स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो वह अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया विश्वविद्यालय स्तर पर मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक २२–०६–२००५ एवं शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध/सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को भी तद्नुसार निर्देशित किया जाय।

19
16-6-10

भवदीय,

10/6/10

(राजवीर शर्मा)
कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता।

कुलसचिव

वि.वि. संबंधित सभी संस्थानों को उक्त आदेश से अवगत किया जाय।

16/6/10

For circular to all Insttts.

REG 16/6/10